राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बडगुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
67/2022	25.02.2022	30.01.2024

उनवान:

1. प्रताप उम्र 80 वर्ष पुत्र लच्छा जाति अहीर निवासी ग्राम कालियाहोडा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

......वादी

बनाम

1. महीपाल पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. जतनसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. पप्पू पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना

......प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक एवं हुक्म ईन्तनाई दवामी धारा 88,89, 188,189 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

।। निर्णय ।।

वादी द्वारा पेश वाद पत्र के संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि आराजी खसरा नम्बर हाल 343 रकबा 0.44 है0, 344 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना मे स्थित है। जो साबिक खसरा नम्बर 272 रकबा 3 बीघा 5 बिस्वा से कायम हुये है। साबिक खसरा नम्बर 272 रकबा 3 विघा 5 बिस्वा मे से 6/13 हिस्सा तरफ पुर्व का प्रतिवादीगण के पिता विजयसिंह पुत्र जगमालसिंह से मिन वादी ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 10.04.1973 को मौके पर कब्जा लेकर मुब0 7000/–रू0 मे खरीद किया था। जिस बयनामा के आधार पर इंतकाल दर्ज करने के लिए मिन वादी ने असल बयनामा पटवारी हल्का को दे दिया था। पटवारी हल्का ने कुछ दिन बाद असल बयनामा यह कहकर मिन वादी को लौटा दिया कि आपके हक मे इंतकाल स्वीकृत हो चुका है। इसलिए मिन वादी पटवारी हल्का की वात पर विश्वास लिया एवं रिकार्ड नही देखा और मिन वादी आराजी मुतनाजा के मौके पर जरिये रजि0 बयनामा के साविक खसरा नम्बर 272 रकबा 3 विघा 5 विस्वा मे से ख़रीद शुदा 6/13 हिस्सा यानि 30 बिस्वा भूमि पर काबिज रहकर काश्त करता रहा हूँ। आज तक मिन वादी को मौके पर अपनी उक्त खरीद शुदा भूमि पर काश्त करने मे किसी के द्वारा भी दिक्कत बाजी पैदा नही की गई इसलिए मिन वादी को रिकार्ड की जानकारी नही थी। लेकिन अब मिन वादी द्वारा आराजी मुतनाजा मे अपने खातेदारी हिस्से की भूमि पर किसान क्रेडिट कार्ड वनवाने के लिए जमाबन्दी की नकल ली तो उसमे मिन वादी के नाम से हिस्सा–3/13 दर्ज किया हुआ है।जिस पर मिन वादी द्वारा साविक रिकार्ड की नकल ली एवं बयनामा लेकर पटवारी हल्का से दिनांक 07.02.2022 को मिला तो पटवारी हल्का ने वताया कि आराजी मुतनाजा मे आपके नाम से 6/13 हिस्सा दर 1/2 हिस्से की खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा शेष

अधिकारी
कोटपूतली-बहरोड

7/13 हिस्सा विक्रेता विजयसिंह के नाम से दर्ज कर दिया गया। जबकि बयनामा सम्पूर्ण भूमि मे से 6/13 हिस्से का करवाया गया था जिसके मुताबिक 6/13 हिस्सा क्रेता के नाम से दर्ज होना चाहिऐ था व 1/26 हिस्सा विक्रेता के नाम से शेष रहना चाहिऐ था। यह गलती बयनामा के मुताबिक खातेदारी दर्ज करते समय पटवारी हल्का द्वारा की गई है। तो मिन वादी द्वारा इसकी दुरूस्ती करवाने के लिए कहा तो पटवारी हल्का ने तहसीलदार साहब से आदेश लेकर आने के लिए कहा इस पर मिन वादी दिनांक 11.02.2022 को तहसीलदार नीमराना से मिला तो तहसीलदार नीमराना द्वारा सम्पूर्ण कागजात देखकर, राजस्व न्यायालयमे दावा दायर कर, बयनामा के मुताबिक खातेदारी दर्ज करवाने के लिए कहा तो मिन वादी द्वारा प्रतिवादीगण को उक्त गलत इन्द्राजात की जानकारी देकर राजस्व रिकार्ड मे बयनामा के मुंताबिक खातेदारी दर्ज करवाने के लिए कहा तो प्रतिवादीगण द्वारा राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने से साफ इंकार कर दिया एवं गलत इन्द्राजात के आधार पर आराजी मुतनाजा को बाला बाला दिगर जगह मुन्तकिल करने की धमकी दी है। इसलिए मिन वादी द्वारा यह दावा इस्तकरार हक व हुक्म ईम्तनाई दवामी का पेश किया गया है। बयनामा एवं मौके पर कब्जा काश्त के मुताबिक आराजी मुतनाजा के राजस्व रिकार्ड मे मिन वादी के नाम से हिस्सा–6/13 की खातेदारी दर्ज करने एवं प्रतिवादीगण को हुक्म ईम्तनाई दवामी से पाबन्द किया जाने बाबत दावा डिक्री किया जाने की प्रार्थना की गई ।

वाद वादी को दर्ज किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किये गये बाद तामिल प्रतिवादीगण उपस्थित नही आने के कारण दिनांक 05.09.2023 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई गई एवं पत्रावली वास्ते साक्ष्य वादी नियत की गई ।

वादी ने अपने दावा के समर्थन मे मौखिक साक्ष्य के रूप मे पी.ड.–1 स्वंय वादी प्रताप का तथा पी.ड.2 महेन्द्रसिंह पुत्र रामप्रताप का तथा पी.ड.–3 महावीरसिंह पुत्र रघुवीरसिंह के बयान शपथ पत्र पेश किये गये तथा दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे प्रदर्श–1 से प्रदर्श–12 तक पेश किये गये तथा प्रतिवादीगण की एक पक्षीय कार्यवाहीहोने के कारण प्रतिवादीगण की ओर से कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नही की गई है। पत्रावली वास्ते बहस नियत की गई।

हमने वकील वादी की एक पक्षीय बहस सुनी गई। वकील वादी द्वारा अपने दावा के तथ्यो को रिपीट करते हुऐ । वादी का वादी पत्रावली पर पेश मौखिक एवं दस्तावेजी साक्ष्य से पूर्ण रूप से साबित होना बताते हुऐ वादी का वाद डिक्री किया जाने की अपील की गई ।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो का ध्यान पुर्वक अवलोकन किया गया तथा दावा मे वर्णित खसरा नम्बर 343,344 मिलान क्षेत्रफल संवत 2042 के मुताबिक साबिक खसरा नम्बर 272 रकबा 3 बिघा 5 बिस्वा से बनाये गये है तथा खसरा नम्बर साबिक 272 मे से वादी ने हिस्सा–6/13 जरिये रजि0 बयनामा दिनांक 10.04.1973 को खरीद किया गया था। जिसमे मुताबिक प्रदर्श सं0 3 जमाबन्दी संवत 2042 खातेदारी 6/13 हिस्सा वादी के नाम से तथा 7/13 हिस्सा दर 1/2 विजयसिंह के नाम से गलत दर्ज किया जाना साबित होता है। क्योकि प्रदर्श सं0 11 बयनामा के मुताबिक खसरा नम्बर 272 वाके ग्राम पीपली मे क्रेता वादी के नाम से हिस्सा–6/13 एवं विक्रेता विजयसिंह नाम से 1/26 की खातेदारी दर्ज होनी चाहिऐ थी लेकिन राजस्व रिकार्ड मे राजस्व कर्मचारियो द्वारा खातेदारी बयनामा के विपरीत अंकित कर दी गई। जो गलत खातेदारी राजस्व जमाबन्दीयात मे रिपीट होती रही है

अधिकारी
(टपूकली–बहरोड़)

तथा हाल जमाबन्दी मे वादी के नाम से 3/13 हिस्सा की खातेदारी दर्ज कर दी गई तथा विकेता विजयसिंह के नाम से 7/26 हिस्से की खातेदारी गलत दर्ज करना साबित होता है। राजस्व कर्मचारियो द्वारा उक्त गलत खातेदारी किस आधार पर दर्ज की गई उस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य सबूत प्रतिवादीगण द्वारा पेश नही की गई। प्रतिवादीगण बावजूद सूचना न्यायालय मे उपस्थित नही हुये है। ना ही कोई साक्ष्य सबूत पेश की गई है। इस प्रकार पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं मौखिक साक्ष्य का पूर्ण अवलोकन से राजस्व रिकार्ड मे वादी के नाम से खातेदारी बयनामा के आधार पर दर्ज होनी चाहिऐ लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा खातेदारी गलत दर्ज कर दी गई जो गलत खातेदारी राजस्व रिकार्ड मे रिपीट होती आ रही है। ऐसी सूरत मे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं तथ्यो के आधार पर वादी का वाद न्यायालय की विनम्र राय के मुताबिक डिक्री होने योग्य है।

आदेश

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 343 रकबा 0.44 है0, 344 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना की हाल जमाबन्दी मे प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 के पिता विजयसिंह पुत्र जगमालसिंह के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्स–7/26 मे से 6/26 हिस्सा पर से विजयसिंह पुत्र जगमालसिंह का नाम कलजन किया जाता है तथा उक्त 6/26 हिस्से का खातेदारी वादी को घोषित कर, उसे वादी के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा– 3/13 को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर हिस्सा–6/13 दर्ज किया जावे। इसी अनुसार हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है। तदानुसार पर्चा डिक्री जारी हो॥

निर्णय आज दिनांक 30.01.2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

पंकज बडगूजर 30.01.2024
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

।। पर्चा डिक्री ।।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना (कोटपूतली–बहरोड)

पीठासीन अधिकारी : श्री पंकज बड़गुर्जर (आर.ए.एस.)

राजस्व वाद संख्या	तारीख रजू :	निर्णय दिनांक
67 / 2022	25.02.2022	30.01.2024

उनवान:

1. प्रताप उम्र 80 वर्ष पुत्र लच्छा जाति अहीर निवासी ग्राम कालियाहोडा तहसील बहरोड जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।

.....वादी

बनाम

1. महीपाल पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
2. जतनसिंह पुत्र श्री विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
3. पप्पू पुत्र विजयसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम पीपली तहसील नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
4. उप पंजीयक महोदय नीमराना जिला कोटपूतली–बहरोड राज0।
5. लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार साहब नीमराना

.....प्रतिवादीगण

दावा इस्तकरार हक एवं हुक्म ईम्तनाई दवामी धारा 88,89, 188,189 आर0टी0ए0

उपस्थिति :– श्री मकरध्वज शर्मा योग्य अधिवक्ता वादी की ओर से

आदेश

अतः वाद वादी इस प्रकार डिक्री किया जाता है कि खसरा नम्बर हाल 343 रकबा 0.44 है0, 344 रकबा 0.43 है0 वाके ग्राम पीपली तह0 नीमराना की हाल जमाबन्दी मे प्रतिवादी सं0 1 लगा. 3 के पिता विजयसिंह पुत्र जगमालसिंह के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्स–7 / 26 मे से 6 / 26 हिस्सा पर से विजयसिंह पुत्र जगमालसिंह का नाम कलजन किया जाता है तथा उक्त 6 / 26 हिस्से का खातेदारी वादी को घोषित कर, उसे वादी के नाम से दर्ज खातेदारी हिस्सा– 3 / 13 को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर हिस्सा–6 / 13 दर्ज किया जावे। इसी अनुसार हाल जमाबन्दीयात खसरा गिरदावरीजात मे दुरूस्त करने का आदेश दिया जाता है।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 30.01.2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई ।

30.01.2024

पंकज बड़गूजर
(आर.ए.एस)
उपखण्ड अधिकारी, नीमराना
(कोटपूतली–बहरोड़) राज0

उपखण्ड अधिकारी
नीमराना (कोटपूतली–बहरोड़)